POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–12 DEC 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

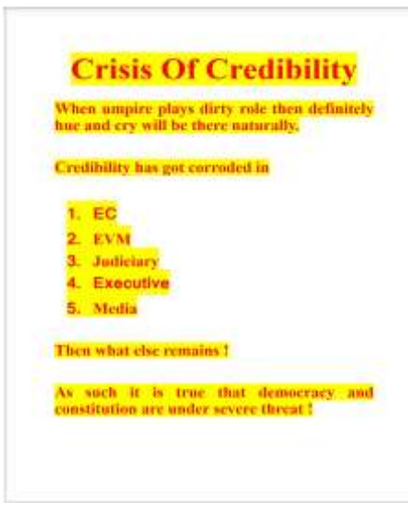

यूपी के संभल में भी मंदिर - मस्जिद विवाद

चार लोगों की मौत हो गई। फायरिंग में। फायरिंग किसने की , पता नहीं है ! स्थिति तनावपूर्ण है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं।स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मतलब मामला गंभीर है।

कारण वहीं मंदिर मस्जिद का ! अयोध्या के बाद लग रहा था कि वातावरण शांत हो जाएगा। पर इसे गर्म रखा जा रहा है। काशी भी विवाद में, मथुरा भी विवाद में ! और अब ये संभल भी विवाद में।

यहां की मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि 16 वीं सदी में मतलब आज से लगभग 400 साल पहले एक मंदिर को गिराकर यह मस्जिद बनी है। मामला कोर्ट में गया । कोर्ट के निर्देश पर वकील कमिश्नर सर्वेक्षण के लिए नियुक्त हुए हैं। इन कमिश्नर का एक बार सर्वेक्षण हो चुका है। दूसरी बार सर्वेक्षण के दौरान मामला गंभीर हो गया। फायरिंग तक हो गई।

अब पुलिस या सिविल प्रशासन पता करने में लगा हुआ है कि ये सब कैसे हो गया !

1991 में एक कानून बना था जिसका नाम है पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act , 1991) जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि पूजा स्थलों को लेकर विवादों को विराम लगे। पर विराम तो दूर मामला बढ़ते ही जा रहा है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी। पर अफसोस अबतक सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला या निर्देश जारी नहीं हुआ है।

एक बात तो तय है कि मंदिर मस्जिद विवाद से वोट तो मिलते हैं।सत्ता भी मिली है। फिर इसे खत्म क्यों होने दिया जाएगा !

कार्यवाही मुक्त संसद

अमेरिकी अदालत द्वारा भारत के उद्योगपति अडानी के खिलाफ दोषारोपण तथा यूपी के संभल में नए मंदिर मस्जिद विवाद पर चर्चा के लिए विपक्ष की माँग को ठुकराते हुए संसद के दोनों सदन सत्र शुरू होने के दिन से ही नहीं चल रहे हैं !

Score Card of NDA and MVA in Maharashtra Assembly Elections

NDA Parties	Vote Share %	Votes	Seats	MVA Parties	Vote Share %	Votes	Seats
BJP	26.77	17293650	132	INC	12.42	8020921	16
NCP	9.01	5816566	41	NCPSP	11.28	7287797	10
SS	12.38	7996930	57	SSUBT	9.96	6433013	20
Total NDA	48.16	31107146	230	Total MVA	33.66	21741731	46
Difference in number of votes is only of						9365415	

महा विकास आघाड़ी की अप्रत्याशित हार ने भुक्तभोगियों को सदमे में डाल दिया है। कोई इसमें कुछ तो गड़बड़ है की बात कर रहा है तो कोई निष्पक्ष जांच की बात करता है । वहीं कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक अभियान की घोषणा कर दी है। ईवीएम भी निशाना बन रहा है !

चुनाव आयोग हमेशा की तरह मौन !

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3)(A) का खुल्लमखुला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन !

1. “बंटेंगे तो कटेंगे” - योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी सरकार !

2. “एक हैं तो सेफ हैं” - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार !

जब शीर्षस्थ महानुभाव इस तरह की बात करते हैं तो उनके अरदलियों (Foot soldiers) का क्या कहना !

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

123. भ्रष्ट आचरण

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा:–

.....

(3ए)

किसी अभ्यर्थी या उसके एजेंट या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना।

इसीलिए “संविधान खतरे में है” वाली बात निराधार नहीं है !

बाबा, मामा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाया

अंततः जंगलराज के क्रूरतम प्रकार का अंत हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा किसी के घर या अन्य ढांचे पर बुलडोजर चलाने के पहले।

इन निर्देशों के अनुसार अब बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को ध्वस्त किए गए ढांचे को पूर्ववत करना होगा तथा पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा , वो भी उनके खुद के निजी पैसे से। उनके खिलाफ न्यायालयीन अवमानना के आपराधिक मामले भी चलेंगे।

काश, इसी तरह के निर्देश यूएपीए , पीएमएलए जैसे खतरनाक कानूनों के दुरुपयोग कर लोगों को महीनों वर्षों जेल में सड़ाने वाले अधिकारियों के खिलाफ जारी होने चाहिए !

झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत

वहाँ हुए चुनाव में पार्टिओन के स्कोर कार्ड

भारतीय जनता पार्टी 21

झारखंड मुक्ति मोर्चा 34

काँग्रेस 16 , CPIML(L) 2

राष्ट्रीय जनता दल 4 अन्य 4

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–12 DEC 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

Narrative of Law Taking Its Own Course

The BJP supporters are now a days quick to cite the maxim " Law takes its own course". If you point out any wrong doings like the indictment of Adani by American court for alleged bribing of Indian govt officials with over 2000 crore rupees for securing a better deal for their solar power or about the money garnered by political parties through the recently set aside electoral bond scheme or about the hate speeches blown out in air day in and day out.

Here is what I have to say about their new found love for law !

Law is not something abstract thing which takes its own course. To make the law walk the police, investigating agencies, governments are crucial functionaries to activate the law. The fact of the matter is that in India all constitutional and statutory institutions have been compromised

The maxim "Law takes its own course" applies in ideal situations which have been destroyed in India in a systematic way.

See how in Maharashtra even though the SC pronounced that the government formations with the help of break away groups of Shiv Sena and NCP was wrong--yet the government lived its full term and now have got reelected in the recent assembly election.

Second example is of the Electoral Bonds wherein the SC declared the scheme unconstitutional -- yet the political parties including the BJP enjoyed the money grabbed by them through the scheme.

And there could be many more such examples !

अडानी के लिए फिर मुसीबत

हिंडेनबर्ग के बाद ये दूसरी मुसीबत ! इस बार अमेरिकी अदालत में। आरोप है कि सोलर पावर बेचने के लिए इनकी कंपनी ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी।

इनकी कंपनी के साथ यूएसए की कंपनी भी शामिल है।

इन दोनों कंपनियों को सोलर पावर सप्लाई करना था भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम SECI (Solar Energy Corporation of India) तथा SECI को भारत में राज्यों में पावर वितरण करने वाली सरकारी कंपनियों को। भारत में राज्यों में पावर वितरण करने वाली कंपनियों को पावर का ज्यादा लागत मंजूर नहीं था।

रिश्वतखोरी इसी तरह की डील फाइनल करने के लिए हुई थी।

पर मुझे विश्वास है इस बार भी अडानी ग्रूप बच जाएगा !

भोजपुरी संगीत की सुरसम्राज्ञी शारदा सिन्हा नहीं रहीं

राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा भोजपुरी लोक तथा पारंपरिक गीतों पर छाई रहीं !

पारंपरिक शादी - व्याह के गीत, छठ, सोहर, झूमर, कजरी आदि अपने विशेष लहजे में विशेष सुर में गाकर समस्त बिहार , झारखंड तथा यूपी के भोजपुरी भाषाभाषियों के दिलों में जगह बना लिया था शारदा सिन्हा ने !

सबसे खास बात उनकी गीतों में ये थी कि उनके गीत अश्लीलता से कोसों दूर थे ! जबकि आजकल भोजपुरी गानों में अश्लीलता का प्रचलन होता जा रहा है !

मैं इस महान गायिका के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सीपीएम ने दहाणू सीट बरकरार रखी

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव में आई तथाकथित बीजेपी की सुनामी में भी सीपीआईएम ने अपना दहाणू विधान सभा सीट बरकरार रखा।

यहां से कॉम विनोद निकोले पुनर्निवाचित हुए हैं।

कॉम विनोद निकोले सही मानों में जनता के बीच रहकर काम करने वाले जनता के प्रतिनिधि हैं !

My Comments On Results

Results of Maharashtra Assembly elections clearly show a clean sweep rather Sunami for BJP as well as its alliance NDA but it is not so in Jharkhand where Congress and JMM led India Alliance hold the sway !

To me , for the spectacular victory for NDA in Maharashtra is due to :-

1. Primarily the latest freeby of Ladki Bahin yojana crediting 1500 rupees to all the women between the age group of 21 -65 yrs, announced just ahead of the elections !
2. Role of money power which was evident with the latest example like the alleged catches of money involving a BJP leader Vinod Tawde !
3. Polarisation attempted by BJP leaders with slogans like katenge to batenge or ek hain safe hain !
4. Split of votes by smaller parties like VBA, BSP, AIMIM etc,
5. Lack of cohesiveness within India Alliance.

However we must accept the mandate !

"अच्छे दिन" के रेलवे स्टेशन

बिहार के भोजपुर जिला में आरा - सासाराम रेलवे लाइन पर स्थित पीरो रेल स्टेशन का निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म तथा स्टेशन परिसर आधा अधूरा तथा खतरनाक स्थिति में छोड़ दिया गया लगता है।

दूसरी विशेष बात ये है कि इस स्टेशन के लिए पहुंच सड़क (access road) भी ठीक नहीं है। सड़क के नाम पर एक पतली संकरी गली है जिसमें से बामुश्किल एक गाड़ी (Vehicle) भी पास हो पाती है। जाम लग जाता है।

प्लेटफॉर्म के नाम पर मात्र डेढ़ या दो फीट का सीमेंट का स्लैब रखा या बना हुआ है। इससे उतरने या चढ़ने वाले यात्रियों की हालत समझी जा सकती है। ना जाने कितने गिरते तथा घायल होते होंगे - ट्रेन के फुटबोर्ड तथा प्लेटफार्म के किनारे के बीच की दूरी में या दूसरे साइड बहुत नीचे मिट्टी की कच्ची सतह पर। बच्चे, औरतें, वृद्ध तथा बीमार यात्रियों की दुर्गति समझी जा सकती है

सबकुछ मिट्टी की कच्ची सतह, जगह जगह गड्ढे ! पैदल आने जाने वालों के चलते बन गई पगडंडी तथा जमीन पर उगी घास बयां करती हैं कि इस प्लेटफार्म को वर्षों पहले ऐसे ही छोड़ दिया गया है।

क्या भारत को विश्वगुरू के दर्जा तक पहुंचाने की आकांक्षा रखने वाले नेतागण इस तरह की खतरनाक लापरवाही की ओर ध्यान देंगे !

संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

The Constitution is workable, flexible and strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. "Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is, that Man was vile."…….. Dr B R Ambedkar

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–12 DEC 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

डेमोक्रेट्स की हार के कारण

1. बाइडन प्रशासन पर गाजा में हो रहे बड़े पैमाने पर हत्याकांड और संघर्ष के विस्तार को रोकने से इनकार - या इससे भी बदतर, असमर्थता - एक दाग था और राजनीतिक दायित्व था। दो महत्वपूर्ण मतदाता समूह - कॉलेज के छात्र और मुस्लिम अमेरिकी - इस से अलग हो गए थे। हैरिस ने इन नीतियों और विफलताओं से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया। डियरबॉर्न अरब-अमेरिकी शहरों में से एक है। यह मिशिगन (एक स्विंग राज्य) में है। यहाँ केवल 39.6 प्रतिशत वोट डाले गए - यह एक नोटा की तरह है ।

2. हैरिस की रिपब्लिकन मतदाताओं के साथ अपील करने की कोशिश विफल रही, खासकर जब उन्होंने हथियार मालिक होने और अपराध के प्रति सख्त होने की बात कही। इससे रिपब्लिकन आधार को आकर्षित करने में मदद नहीं मिली । इसके अलावा, डिक और लिज चेनी का समर्थन प्राप्त करने का प्रदर्शन करने से उनकी पार्टी को और भी एलिटिस्ट दिखाया गया ।

3. अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से का बिना शर्त डेमोक्रेट पक्षपात ने मतदान में पार्टी को नुकसान पहुँचाया। ट्रम्प और जे डी वैन्स की आलोचना और मजाक उड़ाया गया, जबकि हैरिस और टिम वाल्ज की प्रशंसा की गई। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व को अच्छे और बुरे दोनों रूप में जाना जाता था, जबकि बाद वाले केवल कार्डबोर्ड कटआउट थे जो उद्धरणों में बोलते थे और मेम्स

Donald Trump Wins Presidential Election

Let us hope the world to be a better place to live in than it has been through the last one year or two.

Conflicts in Middle East must Stop ! The conflict has been witnessing unprecedented loss of lives of innocents children, men, women in Palestine.

Conflicts in Ukrain is also showing no sign of its abatement.

प्रधानमंत्री से मिलने में बुरा क्या है - जस्टिस चंद्रचूड़

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक चर्चा सत्र में भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ ने हाल में उठे उनके बारे में विवादों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसमें बुराई क्या है !

प्रधान मंत्री द्वारा उनके घर पर गणपति पूजा में शामिल होने पर उठे विवाद हो या उनके द्वारा दिया गया एक बयान कि राम जन्म भूमि के फैसला लिखने में भगवान की प्रार्थना करनी पड़ी थी उन्हें भगवान ने उन्हें ऊहापोह की स्थित से निबटने में मदद की थी।

इस संबंध में मेरी राय ये है कि जज हों या मैजिस्ट्रेट , सभी न्याय में लोगों के विश्वास अक्षुण्ण रखने के लिए लोगों से खुलकर मिलने जुलने से परहेज करते हैं। इसलिए जजों का मंत्री संत्री से दोस्ताना संबंध दिखाना ठीक नहीं है। न्यायशास्त्र के सिद्धांत कहता है कि " न्याय सिर्फ होना ही नहीं दिखना भी चाहिए " ।

भारत में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं न्यायालयों में। इन मामलों में, कहा जाता है कि, सरकारें द्वारा या सरकारों के खिलाफ मामले ज्यादा हैं। ऐसे में सरकारी लोगों के साथ न्यायपालिका के दोस्ताना संबंध लोगों में शक पैदा करता है। जजों के फैसलों के रुख ये शक और मजबूत होने लगता है !वैसे तो ये भी उचित ठहराया जा सकता है कि निवृत्ति के बाद जजों द्वारा सरकारी पदों पर यथा राज्यसभा का सदस्य या मंत्री संत्री होने में क्या बुराई है !

Suppressed Voices Are Coming Up Through J & K Assembly

The things (like protests through Dharna, Morchas etc) they couldn't do openly are resonating through the newly elected State Assembly due to obvious freedom or protections available to state legislatures under our Constitution.

Earlier they couldn't do so probably due to strict enforcement of restrictions for all over five years since the abrogation of special status accorded to J & K under Article 370 of our Constitution and also the bifurcation of States into two ie J & K and Ladakh and then stripping them of their statehood reducing then to a status of union territory.

Now the reality is that the Abrogation of 370 is a law passed by our Parliament and upheld by our Supreme Court - yet this can't preclude people from clamouring for what they think is right.

J & K assembly has witnessed ruckus after the resolution was introduced and passed by voice vote for restoration of the status. Such ruckuses are normal things in Indian legislatures including the highest one the Parliament.

Some MLAs say that the resolution which was got passed by ruling National Conference is a milder one and wants the same to be more forthright. They are charging the NC of hobnobing with the Central Govt.

Supreme Court On Private Property

Operative Portion from the judgement on whether even Private property comes within the scope of clause (b) and (c) of Article 39 of the Part-IV of our Constitution pertaining to the Directive Principles of State Policy:-

E. Conclusion 229. In a nutshell, the answers arrived at by this Court to the reference before us may be summarised in the following terms:

a. Article 31C to the extent that it was upheld in Kesavananda Bharati v Union of India remains in force;

b. The majority judgment in Ranganatha Reddy expressly distanced itself from the observations made by Justice Krishna Iyer (speaking on behalf of the minority of judges) on the interpretation of Article 39(b). Thus, a coequal bench of this Court in Sanjeev Coke erred by relying on the minority opinion;

c. The single-sentence observation in Mafatlal to the effect that 'material resources of the community' include privately owned resources is not part of the ratio decidendi of the judgement. Thus, it is not binding on this Court;

d. The direct question referred to this bench is whether the phrase 'material resources of the community' used in Article 39(b) includes privately owned resources. Theoretically, the answer is yes, the phrase may include privately owned resources. However, this Court is unable to subscribe to the expansive view adopted in the minority judgement authored by Justice Krishna Iyer in Ranganatha Reddy and subsequently relied on by this Court in Sanjeev Coke. Not every resource owned by an individual can be considered a 'material resource of the community' merely because it meets the qualifier of 'material needs';

e. The inquiry about whether the resource in question falls within the ambit of Article 39(b) must be context-specific and subject to a non-exhaustive list of factors such as the nature of the resource and its characteristics; the impact of the resource on the well-being of the community; the scarcity of the resource; and the consequences of such a resource being concentrated in the hands of private players. The Public Trust Doctrine evolved by this Court may also help identify resources which fall within the ambit of the phrase "material resource of the community"; and

f. The term 'distribution' has a wide connotation. The various forms of distribution which can be adopted by the state cannot be exhaustively detailed. However, it may include the vesting of the concerned resources in the state or nationalisation. In the specific case, the Court must determine whether the distribution 'subserves the common good'.

POSTAL REG. NO. THC/251/2022-2024 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–4 ISSUE–12 DEC 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

Renowned ournalist Nikhil Wagle on Twitter/X

“तुम्ही गद्दारी करा, मराठी अस्मितेला लाथ मारा, महाराष्ट्रातले उद्योग पळवा, पैसे खा, शेतकऱ्याला भाव देऊ नका..आणि मतदारांवर पैसे फेका, धर्माच्या नावावर भीती दाखवा, मग तुम्हाला विजय मिळू शकतो हे महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीचं तात्पर्य आहे!” (आप गद्दारी करें, मराठी अस्मिता को लात मारें, महाराष्ट्र से उद्योगों को भगायें , पैसे खाएं , किसानों को भाव (उनके उत्पादों की उचित कीमत) नया दें ,मतदाताओं पर पैसे फेंकें , धर्म के नाम पर डराएं , फिर भी आप जीत सकते हैं ये महाराष्ट्र के चुनाव का अर्थ है !)

Renowned ournalist Rajdeep Sardesai on twitter/X

I am NOT an EVM sceptic. I have seen ballot boxes being captured in early 90s. I believe the real assault to free and fair elections today is unlimited money power and weaponising of state agencies . But here is my simple Qs still not answered by @ECISVEEP: why was there a mismatch in votes polled and counted in as many as 537 of 543 Lok Sabha constituencies in the 2024 elections ? I raise it in my book too. So far silence from ECI and Supreme Court. Waiting for an aswer

Senior Advocate Prashant Bhushan on Twitter/X

Excellent TOI edit on how the former CJI Chandrachud & the SC failed to nip the communal problem of claiming mosques in the bud, during the question of survey of the Gyanvapi mosque. This has led to the mischief in Sambal which may spread to other places

Socio Political activist and Columnist Sudheendra Kulkarni on twitter/X

India must put an end to Mandir-Masjid disputes. What has happened in Sambhal, Uttar Pradesh, is a matter of national shame and concern.

Renowned journalist Ravish Kumar on Twitter/X

संविधान की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहिए कि यह सब क्या चल रहा है। यति के खिलाफ खुद यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। उनकी आलोचना के लिए ज़ुबैर को क्यों परेशान किया जा रहा है ? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती हिंसा और भाषणों पर रोक लगाने के लिए कितनी बार टिप्पणी की है और फ़ैसला दिया है। हर समय किसी को परेशान करो । केस मुक़दमे का सहारा लेकर ताक़त दिखाने की राजनीति उल्टा कमज़ोरी की निशानी है। ऐसे मामलों को तुरंत निरस्त करना चाहिए।

Rashtriy Janata Dal Leader Tejaswi Yadav on Twitter/X

जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री “बंटोगे तो कटोगे” जैसे विध्वंसकारी नारे देने लगे तो समझो वो संवैधानिक कर्त्तव्यों, राजधर्म और हिंदुस्तान की आत्मा से पूर्णरुपेण विमुख हो चुका है। यूपी के संभल में जो हुआ वो अत्यंत दुःखकारी है और संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है। निर्दोष युवाओं को पुलिस द्वारा मारा जाये तथा सत्ता इन मौतों पर अट्टहास लगाए तो समझ लीजिये सत्ता के परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है।“वसुधैव कुटुंबकम्”, “अनेकता में एकता” और “सर्वधर्म समभाव” की आत्मा वाले हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसे कृत्य करने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार और लोकतांत्रिक हक नहीं है। देश-प्रदेश चलाने के लिए न्यायिक चरित्र व न्याय की ज़रूरत होती है, अत्याचारी मनोभाव व नफ़रत भरे एकतरफ़ा निर्णय की नहीं। देश नफ़रती शक्तियों को पहचान चुका है तथा लोकतांत्रिक ढंग से ऐसे तत्वों को सत्ता से हटाने की ठान चुका है। नफरत का हारना बहुत ज़रूरी है प्रेम का जितना उससे भी अधिक जरूरी है। सबसे प्रार्थना हैं कि प्रेम चुनिए नफरत नहीं। एकता और अखंडता ही अखंड भारत का प्राण और ताक़त है। जय हिंद!

Congress Leader Rahul Gandhi on twitter/X

संभल, उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाज़ी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना - जिसकी सीधी ज़िम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू-मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़ कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफ़रत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े।

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav on Twitter/X

कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया या जिनके वोट किसी और ने डाल दिये वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहाँ स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसीलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उप्र पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है। हम महामना राष्ट्रपति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, माननीय राज्यपाल व देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों से आग्रह करते हैं कि इस मामले का तुंरत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके साथ उप्र की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार न कर सके।

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995